

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/115383/SBL/SAMBHAL/802/CFO

दिनांक : 22-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स THE GURUKUL VILLAGE MUGAWAR TEHSIL AND DISTT SAMBHAL पता 0,VILLAGE MUGAWAR,SAMBHAL तहसील - SAMBHAL प्लॉट एरिया 9259.73 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1287.45 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	1	0	8.22 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स THE GURUKUL VILLAGE MUGAWAR TEHSIL AND DISTT SAMBHAL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 23-04-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री YATENDRA VERMA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-04-2024 से 25-04-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स THE GURUKUL VILLAGE MUGAWAR TEHSIL AND DISTT SAMBHAL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स THE GURUKUL VILLAGE MUGAWAR TEHSIL AND DISTT SAMBHAL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : एफएसएसओ संभल द्वारा , आवेदन पर अपलोड मानचित्र एवं अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन, भूतल, प्रथमतल पर निर्मित है आवेदक द्वारा प्रथमत तल निवास हेतु प्रयोग किये जा रहा है के संबंध में शपथ पत्र अपलोड किया गया है, भूतल पर शैक्षिक कार्य संचालन किया जा रहा है जिसकी अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील पायी गयी है। भविष्य में यदि को विचलन पाया जाता है, तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय, शासनादेश स0 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022 एवं एफएसएसओ संभल कि संस्तुति आख्या के आधार पर भूतल हेतु निर्गत।

9

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KRISHNA KANT OJHA

FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9

25-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-04-2024

स्थान : SAMBHAL